न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 141/2016

1. हरिश चन्द्र
2. दिनेश कुमार

} पिसरान साईदत्ता जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. साईदत्ता पुत्र त्रिलोका राम जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
3. विनोद कुमारी पुत्री साईदत्ता जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रणजीत सारड़ीवाल अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री वेद प्रकाश नांरग अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 3

दिनांक :– 08.04.2017

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिविादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मुश्तर्का खाता दर्ज है, नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 को चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि विरास्तन में प्राप्त हुई है, जो मौका पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है, और प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है। तमाम सम्पत्ति जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 का अपनें पिता प्रतिवादी संख्या 1 के बहिस्सा बराबर कानूनन बनता है। वादीगण का चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी में से 1/3 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर आराजी में से बहिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा यानि 0.702 हैक्टर आराजी कानूनन बनता है। तथा वे हकदार व अधिकारी है। एवम् वादीगण अपनें हक व हिस्सा की उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवानें के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को धमकी दे रहा है कि मै तमाम सम्पत्ति को बेचान करके अन्यत्र सम्पत्ति खरीद लेगा जिससे सम्पत्ति उनकी नीजि सम्पत्ति हो जावेगी और वादीगण उनसे कोई हक व हिस्सा नहीं ले सकेगे यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनें मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण अपनें हक व हिस्सा की जद्दी जायदाद से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगे। और वादीगण को बहुत भारी क्षती होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी।

लगातार 2

वादी नें प्रतिवादी संख्या 1 को बार–बार आग्रह किया कि वह उनके नाम से दर्ज कृषि भूमि जद्दी जायदाद होनें से वादीगण का उसमें जन्म से हक व हिस्सा 2/3 हिस्सा होनें का मानकर वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाये तथा बिना जरूरत जायज बिना मुफाद खानदान के मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे मगर टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 15.07.2016 को साफ इन्कारी कर दी तथा इन्कारी से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त जद्दी जायदाद को मुन्तकिल करवाकर राशि खुद प्राप्त करनें तथा अन्य सदस्यों के नाम से मुन्तकिल करवाकर उक्त रकबा को छुड़ानें की फिराक में है, इसलिये वादीगण प्रतिवादरी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है, कि वो वादीगण के हक व हिस्सा की वादग्रस्त भूमि को रहन बैय आदि दीगर तरीके से हस्तानतरण करनें से बाज ममनू रहे इसके लिये वादीगण को प्रथम दृष्टया मामला बनता है। एवम् सुविधा सन्तुलन वादीगण के पक्ष मे है।

अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादीगण चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी का 1/3 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर आराजी में से बहिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा यानि 0.702 हैक्टर आरारजी कानूनन हकदार एवम् अधिकारी है उक्त आराजी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त हिस्सा तक कलमजन किया जावे।
2. इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 चक 13 एल. एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि यानि 1.054 हैक्टर आराजी में से 2/3 हिस्सा यानि 0.702 हैक्टर आराजी को रहन बैय आदि दीगर तरीके से हस्तान्तरित करनें से बाज व ममनू रहे एवम् रिकार्ड की मौका की स्थिति बनाये रखें।
3. अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध अदालतवाला उचित समझे फरमाये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 07.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री रणजीत सारड़ीवाल अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की पहचान श्री वेद प्रकाश नांरग अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह आपसी राजीनामा कर लिया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 विनोद कुमारी नें अपनी स्वेच्छा से विवादित भूमि में से कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 नें अपना हिस्सा बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किये बिना जबर जबाब के अपनें पिता व भाईयों के पख में बहिस्सा बरबार तर्क (रिलिज) कर दिया है। एवम् इस सम्बंध में भविष्य में कोई भी किसी प्रकार से उजर एतराज, क्लेम आदि नहीं करेगी। इसलिये उक्त वर्णित बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो सभी पक्षकारान को कोई उजर व एतराज नहीं है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A14/3

राजीनामा वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने वाला हिस्सा निम्नानुसार है :–

1. हरिश चन्द्र, दिनेश कुमार पिसरान साईदत्ता जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर :– चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर नहरी भूमि में से 2/3 हिस्सा यानि 0.702 हैक्टर नहरी भूमि बहिस्सा बराबर।
2. साईदत्ता पुत्र त्रिलोका राम जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर :– चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.351 हैक्टर नहरी भूमि।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत वाद पत्र के बिन्दूओं को ही दोहराया

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 साईदत्ता पुत्र त्रिलोका राम जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी का खातेदार है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 3 का विरास्तन हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपना विरास्तन प्राप्त होनें वाला हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किये जानें के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

–:: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण हरिश चन्द्र, दिनेश कुमार पिसरान साईदत्ता जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 13 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118/124 के मुरब्बा नम्बर 52 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर नहरी भूमि में से 2/3 हिस्सा यानि 0.702 हैक्टर नहरी भूमि बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 साईदत्ता पुत्र त्रिलोका राम जाति अरोड़ा निवासी हिरनावाली हाल आबाद मकान नम्बर 118 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को 1/3 हिस्सा यानि 0.351 हैक्टर नहरी भूमि का

(राजस्व)

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर